

Haryana Government Gazette **EXTRAORDINARY**

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 41-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 7, 2022 (PHALGUNA 16, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 7th March, 2022

No. 10-HLA of 2022/19/4528.— The Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran (Amendment) Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 10-HLA of 2022

THE HARYANA KISAN KALYAN PRADHIKARAN (AMENDMENT) BILL, 2022

BILL

further to amend the Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran Act, 2018.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran (Amendment) Act, 2022.

Substitution of section 8 of

Haryana Act 13

- 2. For section 8 of the Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran Act, 2018 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be substituted, namely:-
 - "8. Appointment and terms and conditions of Chief Executive Officer, Additional Chief Executive Officer and Joint Chief Executive Officer.- (1) The Government shall, by notification, appoint an officer of the Government not below the rank of Principal Secretary or an eminent person in the field of agriculture as Chief Executive Officer.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, eminent person in the field of agriculture shall include,-

> any agricultural scientist who has worked for more than ten years in the field of teaching/research/extension in agricultural sciences

a person who has been awarded in the field of agriculture a national level award i.e. Padam Shri, Padam Bhushan, Padam Vibhushan, Bharat Ratna etc.

or

a person who has held the post of Vice-Chancellor in any agricultural university for a minimum period of two years

(751)

Short title.

of 2018.

or

a person who has held the post of Administrative Secretary/Secretary/Director General/Director in the Agriculture and Farmers Welfare Department for a minimum period of one year

Of

- a person who has held the position as Head of any Central Research Institute relating to agriculture for a minimum period of two years.
- (2) In case an eminent person is appointed as Chief Executive Officer, he shall be paid out of the fund of the Pradhikaran, such monthly salary and allowances with such other facilities, as may be fixed by the Government.
- (3) In case the Chief Executive Officer is on leave or is unable to discharge his duties, the Additional Chief Executive Officer shall exercise the powers of the Chief Executive Officer until his return.
- (4) The Government shall, by notification, appoint an officer of the Government, not below the rank of Director General/Director, Agriculture and Farmers Welfare Department as Additional Chief Executive Officer, who shall exercise such powers and perform such duties as specified by the Government.
- (5) The Government shall, by notification, appoint an officer of the Government, not below the rank of officer of Haryana Civil Services as Joint Chief Executive Officer, who shall exercise such powers and perform such duties as specified by the Government.".
- 3. For clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) The Council shall consist of the following members, namely:-

(i)	The Chief Secretary to Government, Haryana	Chairperson
(ii)	Vice-Chancellor, Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar	Member
(iii)	Vice-Chancellor, Maharana Partap Horticultural University, Karnal	Member
(iv)	Vice-Chancellor, Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar	Member
(v)	Vice-Chancellor, Haryana Vishwakarma Skill University, Gurugram	Member
(vi)	Director General/Director, Agriculture and Farmers Welfare Department	Member-Secretary
(vii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Agriculture and Farmers Welfare Department	Member
(viii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Animal Husbandry and Dairying Department	Member
(ix)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Fisheries Department	Member
(x)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Industries and Commerce Department	Member
(xi)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Development and Panchayats Department	Member
(xii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Rural Development Department	Member
(xiii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department	Member
(xiv)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department	Member
(xv)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Co- operation Department	Member
(xvi)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, New and Renewable Energy Department	Member

Amendment of section 10 of Haryana Act 13 of 2018.

(xvii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Forests and Wildlife Department	Member
(xviii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Environment Department	Member
(xix)	Chief Administrator, Haryana State Agricultural Marketing Board	Member
(xx)	Chief Engineer- Command Area Development Authority	Member
(xxi)	Chief Executive Officer – State Level Nodal Agency	Member
(xxi) (xxii)	Chief Executive Officer – State Level Nodal Agency Mission Director – Haryana State Horticulture Development Agency	Member Member
` /	Mission Director – Haryana State Horticulture	

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The objects of the Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran (Amendment) Bill, 2022 is to amend the provision of the Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran Act, 2018 for incorporation and regulation of Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran based on the principles of democratic member control, members economic participation and autonomous functioning.

The reason for the proposed amendment is that the Haryana Kisan Kalyan Pradhikaran Act, 2018 in the State of Haryana is newly enacted and the proposed amendments will ensure smooth functioning of the Pradhikaran.

JAI PRAKASH DALAL, Agriculture and Farmers Welfare Minister, Haryana.

Chandigarh: The 7th March, 2022.

R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 10 एच.एल.ए.

हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. यह अधिनियम हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता संक्षिप्त नाम। है।

2. हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

2018 के हरियाणा अधिनियम 13 की धारा 8 का प्रतिस्थापन।

"8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति और निबन्धन तथा शर्तें.—(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी अधिकारी, जो प्रधान सचिव की पदवी से नीचे का न हो, या कृषि के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है।

व्याख्या.— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कृषि के क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्ति में शामिल होगा—

> कोई कृषि वैज्ञानिक, जिसने कृषि विज्ञान में शिक्षण/अनुसंधान/ विस्तार के क्षेत्र में दस वर्ष से अधिक के लिए कार्य किया हो

> > या

कोई व्यक्ति, जिसे कृषि के क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान किया गया हो जैसे कि पद्ममश्री, पद्मम भूषण, पद्मम विभूषण, भारत रत्न इत्यादि

या

कोई व्यक्ति, जिसने किसी कृषि विश्वविद्यालय में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए कुलपित का पद धारण किया हो

या

कोई व्यक्ति, जिसने कृषि तथा किसान कल्याण विभाग में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशासकीय सचिव/सचिव/महानिदेशक/निदेशक का पद धारण किया हो

या

कोई व्यक्ति, जिसने कृषि से सम्बन्धित किसी केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के प्रमुख के रूप में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण किया हो।

- (2) यदि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे प्राधिकरण की निधि से ऐसी अन्य सुविधाओं सहित ऐसे मासिक वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो सरकार द्वारा नियत किए जाएं।
- (3) यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवकाश पर है या अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उसकी वापसी तक अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- (4) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी अधिकारी, जो महानिदेशक / निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की पदवी से नीचे का न हो, को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (5) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी अधिकारी, जो हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो, को संयुक्त कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।"।

2018 के हरियाणा अधिनियम 13 की धारा 10 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

/	\sim	\sim	١.	\	\sim	/ 0	,
"(表)	ਜੀਹਰਟ		ਗਟਰਗ ;	п	Harks	तनगा	शास्त्र
(47)	भारभप	निम्नलिखित	रादरमा	רז	1701975	וויויף.	जनातः
(' /						,	

 (क) पार	षद् ।नम्नालाखत सदस्या स ।मलकर बनगा, अथात्:–	
(i)	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	अध्यक्ष
(ii)	कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	सदस्य
(iii)	कुलपति, महारणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल	सदस्य
(iv)	कुलपति, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	सदस्य
(v)	कुलपति, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, गुरूग्राम	सदस्य
(vi)	महानिदेशक / निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग	सदस्य– सचिव
(vii)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग	सदस्य
(viii)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग	सदस्य
(ix)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, मत्स्य पालन विभाग	सदस्य
(x)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	सदस्य
(xi)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, विकास तथा पंचायत विभाग	सदस्य
(xii)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
(xiii)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग	सदस्य
(xiv)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	सदस्य
(xv)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
(xvi)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, नवीन तथा अक्षय उर्जा विभाग	सदस्य
(xvii)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, वन तथा वन्यजीव विभाग	सदस्य
(xviii)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग	सदस्य
(xix)	मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	सदस्य
(xx)	मुख्य अभियंता–कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण	सदस्य
(xxi)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी–राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी	सदस्य
(xxii)	मिशन निदेशक—हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी	सदस्य
(xxiii)	मिशन निदेशक—हरियाणा कौशल विकास परिषद्	सदस्य
(xxiv)	प्रबंध निदेशक–हरियाणा एग्रो उद्योग निगम	सदस्य"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम, 2018 के प्रावधान के तहत हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 में संशोधन करने का उद्देश्य लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य की आर्थिक भागीदारी तथा स्वायत्त कार्यप्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के समावेश और विनियमन के लिए संशोधन करना है।

प्रस्तावित संशोधन का कारण यह है कि हरियाणा राज्य में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम, 2018 के नवगठित किया गया है और प्रस्तावित संशोधन प्राधिकरण का कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु सुनिश्चित करना है।

> जय प्रकाश दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक ७ मार्च, 2022. आर० के० नांदल, सचिव।

9515—H.V.S.—H.G.P. Pkl.